प्रधानमंत्री द्वारा अपने अमेरिकी दौरे के संबंध में राज्य सभा में हुई बहस का उत्तर

दिनांक 4 अगस्त, 2005
नई दिल्ली.

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मेरे अमेरिकी दौरे के नतीजों के संबंध में अपना आकलन तथा उपयोगी सुझाव दिए।

महोदय, इससे पहले कि मैं चर्चा में उभरे विभिन्न मुद्दों पर जाकर उनका विश्लेषण करूं, मैं इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा हमारी सरकार पर लगाया यह विशिष्ट आरोप कि सरकार संबंधित मंचों से परामर्श नहीं कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है।

अमेरिका जाने से पहले मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवानी और श्री जसवंत सिंह को आमंत्रित किया था और जिन उद्देश्यों को लेकर मैं अमेरिका के दौरे पर जा रहा था, उन्हें मैंने उनके समक्ष रखा था। जहां तक परमाणु नीति का संबंध है, मैंने अपने इस दौरे के उद्देश्य के बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से बताया था—सामरिक परिसम्पत्तियों के प्रबंधन में अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को संरक्षित और बनाए रखना, इसके साथ-साथ सहयोग के नए रास्ते खोलना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना। श्री जसवंत सिंह को याद होगा कि उस चर्चा में परमाणु विद्युत कार्यक्रम के प्रबंधन पर बातचीत हुई थी। हम इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत का परमाणु विद्युत कार्यक्रम कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यह इसलिए नहीं कि हमारे वैज्ञानिकों में विशेषज्ञता की कमी है, बल्कि विभिन्न परमाणु शक्ति सम्पन्न् देशों द्वारा अपनाई गई उस असमान प्रतिबंधित व्यवस्था के कारण है जो भारत को प्रौद्योगिकियों और उनसे जुड़ी सुविधाओं की सुलभता पर रोक लगाती है। ये ऐसी प्रौद्योगिकियां और सुविधाएं हैं जिनसे हम अपने सामाजिक और आर्थिक विकास की गति में अधिक तेजी ला पाते। इससे हमारा तेजी से सामाजिक-आर्थिक बदलाव हो सकता है और हम देश को लम्बे समय से चली आ रही गरीबी, जिससे अभी भी हमारे लाखों और करोड़ों लोग त्रस्त हैं, से मुक्ति दिला सकते हैं।

महोदय, मैंने माननीय श्री अटल जी, श्री आडवाणी जी तथा श्री जसवंत सिंह जी को अपनी उस रूपरेखा के बारे में बारीकी से बता दिया था जिसका मैंने वाशिंगटन में अनुकरण किया। मुझे वाम दलों के अपने सहयोगियों के साथ भी चर्चा करने का मौका मिला था और उनसे मैंने वही बातचीत की जो मैंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों से की थी। अमेरिका से वापस आने के बाद, सदन में अपना वक्तव्य देने से पहले मैंने श्री अटल जी, श्री आडवाणी जी तथा श्री जसवंत सिंह जी से यह भी अनुरोध किया था कि हम मिल-बैठकर इस बारे में बातचीत करें ताकि हम उन उपलब्धियों का संयुक्त रूप से मूल्यांकन और आकलन कर सकें जो हमने हासिल की हैं और जो हमें हासिल नहीं हुई हैं। यह मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। ऐसा ही अनुरोध मैंने वाम दलों के अपने साथियों से भी किया था।

इसलिए महोदय, हमने संभावनाओं की सीमाओं के भीतर सभी संगत कदम उठाए ताकि हमारे देश की मुख्य राजनीतिक विचारधारा—विपक्ष के नेताओं और वाम गठबंधन के नेताओं—को इस बात की पूरी जानकारी दी जा सके कि दौरे पर जाने से पहले हम क्या करते रहे और दौरे से लौटने के बाद हमने क्या किया।

महोदय, यहां कई बिन्दु उठाए गए हैं। श्रीमती सुषमा जी ने अमेरिका के एक अधिकारी विशेष श्री निकोलस बर्न के वक्तव्य का उल्लेख किया है। उन्होंने मेरी अपेक्षा श्री बर्न पर अधिक विश्वास जताया। मैं समझता हूं यह उनका अपना चयन था। लेकिन, मुझे यकीन है कि मैं यह सही कह रहा हूं कि श्रीमती सुषमा जी तथा उनके मित्रों का श्री स्ट्रोब टालबोट में सबसे अधिक विश्वास है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने वाशिंगटन में जो कुछ किया उसके बारे में वे क्या-क्या लिखते आ रहे हैं। श्री टालबोट की टिप्पणियां ठीक उलट दिशा में हैं कि भारत को बहुत अधिक दे दिया गया है, और यह भी कि परमाणु व्यवस्था समाप्त हो जाएगी क्योंकि राष्ट्रपति श्री बुश ने भारत को असाधारण रियायतें दे दी हैं।

मैं यह नहीं कर रहा हूं कि कौन सही है और कौन गलत। मैं समझता हूं कि मुझे इस फैसले को विपक्षी नेताओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मेरा आज का प्रयोजन यही है कि मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश को यह बताना चाहता हूं कि मैं क्या हासिल करने के लिए निकला था और उसे पाने के लिए मैं कहां तक सफल हुआ हूं। जैसा कि मैं समझता हूं, हमारे देश की सभी नीतियों का उद्देश्य अथवा मुख्य जोर उन प्रकियाओं को निरंतर आगे बढ़ाना है जो हमें सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दौड़ में तेजी से आगे ले जा सकें और हम देश को लम्बे समय से चली आ रही गरीबी जिससे अभी भी हमारे लाखों और करोड़ों लोग त्रस्त हैं, से मुक्ति दिला सकें। यद्यपि आजादी मिलने के बाद भारत में चहुं ओर काफी प्रगति हुई है, किन्तु गरीबी से मुक्ति दिलाने का यह कार्य अभी भी अधूरा है जिसके लिए पं0 जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को देश को संकल्प दिलाया था। वित्तमंत्री के रूप में 1991 में जब मैंने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था तब मैंने संसद के दोनों सदनों में विक्टर हुगो को उद्धृत करते हुए कहा था कि जब जिस विचार को व्यक्त करने का समय आ गया हो उसे धरती पर कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तब मैंने इस सदन तथा दूसरे सदन को यह भी सुझाव दिया था कि भारत का एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में उभरना एक ऐसा ही विचार है जिसका उपयुक्त समय आ गया है। और यही वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार कार्य करना चाहती है। हमें सफलता मिली अथवा नहीं, इसे सिर्फ एक ही प्रयास से हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन यह एक मिशन है, एक महत्वाकांक्षा है, और भारत की विदेश नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के परिरक्षण तथा सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ हमारे विकास संबंधी विकल्पों को और व्यापक बनाने में भी योगदान देना है।

हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो ऐसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं। फिर भी, यह सच है कि राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता एक वास्तविकता है। और यह भी कि इस परस्पर-निर्भर विश्व में एक बात शक्ति संबंधों की है। विश्व में यह शक्ति समान रूप से विभाजित नहीं है और हम इतिहास से यह जानते हैं कि जहां भी शक्ति में असमानता रही है वहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध मूलतः शक्ति संबंधों से निर्धारित होते हैं अर्थात् जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे कमजोरों को दबाने से अपने को नहीं रोक सकते। आज अमेरिका सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। यह एक महाशक्ति है। इसमें विश्व हित जुड़ा हुआ है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वे हित हमारे

हितों से मेल नहीं खाते। हमारी आकांक्षा है कि हम एक अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए काम करें, एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जिसमें अधिक बहुध्रुवता हो। इसके साथ-साथ, हम उन अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं जो मौजूदा व्यवस्था में उपलब्ध हैं ताकि हम सामाजिक और आर्थिक बदलाव की गति में तेजी लाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि इस बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था की हमारी कल्पना रातोंरात साकार हो जाए। फिर भी, इसे साकार करने के लिए हम सभी को योगदान करना है और यह तभी संभव हो सकता है जब भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनाया जाए। इसलिए, मेरा पहला प्रयास यह रहा है कि मौजूदा व्यवस्था में जो कुछ सुअवसर उपलब्ध हैं उनका लाभ उठाकर भारत को उच्च विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए।

आज हमारे देश की विश्वभर में सराहना की जाती है। उच्चतम विकास दर में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विश्व भारत का सम्मान करता है और यह देखकर अचंभित होता है कि एक अरब की जनसंख्या वाला यह देश, जहां विविध आस्थाओं और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, एक ऐसी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के दायरे में अपनी तरक्की का प्रयास कर रहा है जो समस्त मौलिक मानव स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्ध है और हर व्यक्ति की मर्यादा का सम्मान करती है।

इसलिए, इस असमान व्यवस्था में जो अवसर मौजूद हैं उनसे हमें संतुष्ट रहना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न आपसी हित वाले क्षेत्रों का पता लगाने में अमेरिका के साथ काम करना हमारे राष्ट्रीय हित में है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर उस चीज का समर्थन करें जो अमेरिका करता है, लेकिन इस परस्पर-निर्भर विश्व में अमेरिका का कितना महत्व है, यह आप सभी जानते हैं। चूंकि हमें अपने काम से मतलब है, इसलिए इस दौरे में मेरा प्रयास यही रहा है कि हम एक ऐसा अन्तरराष्ट्रीय माहौल बनाने में मदद करें जिसमें भारत के विकास संबंधी प्रयासों में अधिक सहयोग मिल सके और इस प्रक्रिया के चलते हमारे विकास के विकल्पों को व्यापक आधार हासिल हो सके।

परमाणु मुद्दे पर काफी चर्चा हो चुकी है। जब मैंने अमेरिका के दौरे का अपना मन बनाया था तब मेरे जेहन में परमाणु मसला प्रमुख नहीं था। मैं भारत की कृषि की हालत से चिंतित था। पिछली सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। इसमें कृषि की चार प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हम कहीं भी प्रयासरत नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था ऐसे स्तर पर पहुंची दिखाई दे रही है जहां लगता है कि हरित क्रांति, जिसका लगभग साठ और सत्तर के दशक के मध्य में प्रादुर्भाव हुआ था, से जुड़ी नई प्रौद्योगिकियां अपनी पुरानी गतिशीलता और प्रभाव खो चुकी हैं। इसलिए, मैंने सोचा कि यह एक ऐसा मौका है जिसका फायदा हमें मानव ज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए उठाना चाहिए ताकि हम अपनी अनुसंधान संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, विस्तार केन्द्रों में नई जान फूंक सकें। यही बात हमारे संयुक्त वक्तव्य में परिलक्षित होती है। मैं भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अपने अनुभव और ज्ञान का आधुनिकीकरण और विस्तार करने में इसकी भूमिका को अत्यधिक महत्व देता हूँ। इसलिए कृपया आप केवल परमाणु मुद्दे पर ही अपना ध्यान केन्द्रित न रखें।

इसके अलावा, आधारभूत ढांचे के विकास में भी कई बड़ी बाधाएं हैं। मुम्बई की त्रासद घटना हमारे सामने है। इससे हमें पता चलता है कि पर्याप्त आधारभूत ढांचे के न होने के कारण हमारे देश की प्रमुख वित्तीय राजधानी मुम्बई के लोगों को कितनी दुख-तकलीफों का सामना करना पड़ा है। यह किसी भी दूसरे शहर में हो सकता है। हम आधारभूत ढांचे के प्रबंधन के प्रति अत्यधिक उपेक्षित रहे हैं। मेरा अनुमान है कि यदि हमें अपने आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाना है और देश की विकास दर को आठ से दस प्रतिशत तक ले जाने की अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल करना है तो हमें अगले सात अथवा आठ वर्षों में कम से कम 150 बिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी। हालांकि, हमारी घरेलू बचत दर की स्थिति सम्मानजनक है लेकिन इसके लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत है और इसमें अमेरिका हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए, जब मैं मास्को में राष्ट्रपति बुश से मिला था तो सबसे पहले मैंने उनसे इसी विचार के बारे में चर्चा की थी। अपने प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि यद्यपि अमेरिकी सरकार अब सहायता-व्यापार के क्षेत्र में नहीं है, फिर भी, वे अमेरिकी व्यापार को भारत में अधिक से अधिक रूचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भरसक प्रयास करेंगे और इसके लिए वे हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे विश्व व्यापार में सक्रिय अपने सबसे अच्छे मित्रों में से पांच से यह आग्रह करेंगे कि वे भारत के पांच श्रेष्ठ व्यावसायिकों के साथ मिलकर काम करें और संयुक्त रूप से यह पता लगाएं कि हमारे दोनों देश भारत के एक अधिक सक्रिय आधारभूत ढांचे के सपने को साकार करने के लिए किस प्रकार बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं।

वाशिंगटन में अपने काम के इस पहलू को मैं अत्यधिक महत्व देता हूँ। जब मैं वाशिंगटन में था तो डॉ0 शुक्ला के नेतृत्व में हमारे तीन शीर्ष मौसम वैज्ञानिक मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा, "यदि हमें संगत वैज्ञानिक क्षेत्रों में हो रहे नये-नये परिवर्तनों का लाभ उठाना है तो भारत की मौसम-विज्ञान प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है।" यह केवल मौसम विभाग से जुड़े मामलों में ही नहीं है जिनमें हमें अपनी दक्षता को बढ़ाना है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। लेकिन आज मानव ज्ञान जिस तेज गति से बढ़ रहा है, उसके बारे में दस साल पहले सोचा भी नहीं गया था। इसलिए, हमें दोनों देशों की शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिकों के बीच सम्पर्कों को बढ़ावा देने की जरूरत है। सौभाग्य से आज अमेरिका के सभी प्रमुख अनुसंधान केन्द्रों में चाहे वह आई.बी.एम. प्रयोगशाला हो अथवा विश्वविद्यालय हो, सभी में होनहार युवा भारतीय ज्ञान के उच्च स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस ज्ञान के खजाने को इस्तेमाल में लाना होगा। इस दौरे में मेरा यह प्रयास रहा कि अपने देश के लिए इस संभावित ज्ञान भंडार को इस्तेमाल में लाया जाए, और यह एक ऐसा पहलू है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा। हमने अग्रणी क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर एक "फ्रेमवर्क एग्रीमेंट" नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका अब भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में मानता है। मुझे उम्मीद है कि सहयोग की संभावनाएं बनेंगी और उसका श्रेय हमें मिलेगा। यह मेरे काम का एक और पहलू था और जो भी इसमें हमें हासिल हुआ, उसका संयुक्त वक्तव्य में उल्लेख किया गया है।

किन्तु मैं हमेशा से इस तथ्य के बारे में जागरूक रहा हूँ कि यदि भारत को तेजी से विकसित हो रही विश्व अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनना है और यदि हमें हर साल 8 से 10 प्रतिशत की विकास दर हासिल करनी है तो हमें कम से कम अपने सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के समान ही देश में वाणिज्यिक ऊर्जा की विकास दर को बनाए रखना होगा। वस्तुतः हमारे देश में वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग अधिक तेजी से बढ़ रही है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि हमारे देश में दो क्रांतियां एक साथ जन्म ले रही हैं। एक तरफ आधुनिकीकरण के दबाव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अस्तित्व सिमटता जा रहा है। इसलिए ऊर्जा, जलावन लकड़ी, घरेलू ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के प्राचीन परंपरागत तरीकों के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर, जैसे-जैसे हमारा विकास हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है और शहरीकरण हो रहा है वैसे-वैसे वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा और हमारी खाद्य सुरक्षा ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो अगले पच्चीस वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर निर्धारित करेंगे। अब यदि हम ऊर्जा सुरक्षा के लिए कार्य करने जा रहे हैं तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोयले के विशाल भंडार हैं। आज हम लगभग 400 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करते हैं और यह अनुमान हैं कि वर्ष 2010 तक कोयले की मांग 1000 मिलियन टन से अधिक बढ़ जाएगी। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक कोयले का उत्पादन होगा। लेकिन, कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन से पर्यावरण को इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि किसी समय अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन व्यवस्था लागू होती है तो हम पर उक्त संदर्भ में लगाम लग सकती है। इसलिए हम कोयले पर ही निर्भर नहीं रह सकते। हमें स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए काम करना होगा। यह एक ऐसा प्राथमिकता वाला क्षेत्र है जिसे संयुक्त वक्तव्य में महत्व दिया गया है।

आज हम हाईड्रो कार्बन के बगैर अपना काम नहीं चला सकते। आज हम अपनी 70 प्रतिशत हाईड्रो कार्बन की खपत के लिए आयातित आपूर्ति पर निर्भर हैं। मैं समझता हूँ कि पश्चिम एशिया इससे समृद्ध है। लेकिन किसी भी अनिश्चितता की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस साल हम तेल की कीमतों में अनिश्चितता, अस्थिरता तथा पूर्वानुमान की अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। इनमें पिछले पांच अथवा छः महीनों में तीन गुनी वृद्धि हुई है। इसलिए हमें अन्य विकल्पों को तलाशना होगा।

हमारे उस संकल्प में जिसके द्वारा हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की नींव रखी गई थी, विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर अत्यधिक बल दिया गया था। इसके साथ ही हमारा देश पंडित जवाहर लाल नेहरू का अत्यधिक आभारी रहेगा जिन्होंने हमारे देश की भावी जरूरतों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषकर परमाणु ऊर्जा की भूमिका को पहचानने का सपना देखा था। मैं समझता हूँ श्री जसवंत सिंह जी ने इस सम्बंध में हमारी महत्वाकांक्षा का उल्लेख किया है।

सन् 1970 में जब मैं वित्त मंत्रालय में सचिव था तब मैं परमाणु उर्जा आयोग का एक सदस्य था। उस समय हमने 10,000 मेगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई थी। आज हम उस समय से 30 साल आगे निकल आए हैं। हमारी कुल क्षमता लगभग 3,000 मेगावाट है। अगले पांच अथवा 6 सालों में यह 6,000 मेगावाट तक बढ़

सकती है। किन्तु इसके लिए भी हमारे पास ईंधन उपलब्ध नहीं है। उन क्षेत्रों में जहां घरेलू भंडार पाए जाते हैं, यूरेनियम के खनन में समस्याएं हैं। जहां तक आयातित ईंधन का संबंध है, अमेरिका और अन्य देशों द्वारा खड़ी की गई प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कारण हम अभी तक इन स्रोतों अथवा आपूर्तियों तक अपनी पहुंच नहीं बना सके हैं। इसलिए, मैं यह चाहता था कि अपनी इस यात्रा का सदुपयोग इस प्रतिबंधित, प्रतिकूल और असमान व्यवस्था जो उच्च प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सामाजिक और आर्थिक विकास की दौड़ में हमारे तेजी से आगे बढ़ने के मार्ग में एक बाधा बनी रही है, को रास्ते से हटाने के लिए करूं।

यदि हमें ऊर्जा सुरक्षा चाहिए तो हमें परमाणु ऊर्जा पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। विश्व भर में जापान और फ्रांस जैसे राष्ट्र, जहां कच्ची सामग्री की कमी है, परमाणु ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां एक ओर हमें कोयले का विकास करना होगा, वहीं दूसरी ओर हमें जल विद्युत का विकास भी करना होगा; भविष्य के लिए हमें अपने विकास विकल्पों को व्यापक बनाने के लिए ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का विकास करना होगा; और हमें वाणिज्यिक ऊर्जा जो पर्यावरण के अनुकूल है, तक भी समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी।

महोदय, श्री जसवंत सिंह जी ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था का उल्लेख किया है। इस व्यवस्था में उतार-चढ़ाव की स्थिति है। आप इसे अव्यवस्था कह सकते हैं। यद्यपि इसके दीर्घकालिक झुकावों को देखते हुए मेरा विश्लेषण सही न हो फिर भी, इसमें उतार-चढ़ाव की स्थिति तों है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में है लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसमें कुछ खामियां हैं। उदाहरण के तौर पर, परमाणु अप्रसार संधि के बावजूद हमारे पड़ोस में परमाणु का प्रसार हुआ है। मौजूदा स्थिति में मैं राष्ट्रपति श्री बुश अथवा अमेरिकी सरकार से यह नहीं कह सकता था कि वे परमाणु परिसम्पत्तियों के व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लें। उन्होंने कहा कि दो बातें हैं, एक "नागरिक" तथा दूसरी "सैनिक"; हम आपके विकास के इस्तेमाल के लिए आपके ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने में मदद देने के इच्छुक हैं किन्तु सैनिक प्रयोजनों के लिए नहीं। इसलिए उस वास्तविकता को समझते हुए तथा विश्व व्यवस्था की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना दृष्टिकोण तैयार करना था। मेरे दिमाग में यह स्पष्ट बात थी कि जैसी भी विश्व व्यवस्था है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी भी तरह सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित हमारी आजादी से समझौता करना पड़े।

इसके बावजूद जो संदेह श्रीमती सुषमा जी ने व्यक्त किए हैं, मैं इस सदन को यह आश्वासन देता हूँ कि मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि ये संदेह तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह सही है कि जो कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है उसके लिए कांग्रेस की सहमति की जरूरत होगी। लेकिन यह भी सही है कि मेरे आग्रह पर राष्ट्रपति श्री बुश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे इन निरोधात्मक व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए अमेरिकी सहयोगियों तथा अन्य देशों के साथ अमेरिकी प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। यही बात भारत के पक्ष में रियायतें देने के लिए परमाणु आपूर्ति करने वाले समूह पर भी लागू होती है। अमेरिकी कांग्रेस क्या करेगी इसका मैं पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। किन्तु यदि आप संयुक्त वक्तव्य को पढ़ें तो इसमें स्पष्ट है कि अमेरिकी पक्ष रखे जाने के बाद हमारी प्रतिबद्धताएं क्या हैं। इस संदर्भ का शुरूआती वाक्य यह है कि एक पक्ष द्वारा इन सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद ही

दूसरा पक्ष ऐसा करेगा। यदि अमेरिकी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है अथवा अमेरिकी कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति से सहमत नहीं होती है तो हम पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी पहली वाली स्थिति में ही बने रहेंगे। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है।

हमारे परमाणु प्रतिष्ठान ने मुझे बताया है कि असैनिक (नागरिक) परमाणु सुविधाओं और सैनिक सुविधाओं को अलग-अलग किया जा सकता है। हालांकि मैंने ब्यौरे का अध्ययन नहीं किया है किन्तु सक्षम पर्यवेक्षकों ने मुझे बताया है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ0 राजा रामन्ना ने काफी पहले इस तरह का पृथक्करण किए जाने का प्रस्ताव किया था। हमारे परमाणु प्रतिष्ठान ने मुझे बताया है कि ऐसा किया जा सकता है किन्तु इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना होगा। इसलिए हमने अमेरिकी सरकार के सामने इस बात को रखा कि यह पृथक्करण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह भारत का स्वायत्त निर्णय होगा कि कौन "नागरिक" परमाणु सुविधा है और कौन "सैनिक" परमाणु सुविधा। कोई भी बाहरी देश हमें यह नहीं बताएगा कि अमुक "नागरिक" है और अमुक "सैनिक" सुविधा।

इसलिए महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमने इस संयुक्त वक्तव्य में बचाव के सभी आवश्यक उपाय रखे हैं जिनसे यह सुनिश्चित होगा कि भारत की परमाणु परिसम्पत्तियों के प्रबंधन में उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता से किसी तरह का कोई समझौता न हो।

महोदय, प्रश्न उठता है कि वे कौन सी प्रतिबद्धताएं हैं जो मैंने की हैं? इस संबंध में, मैं यह स्पष्ट करते हुए इस सदन को आश्वासन देता हूँ कि हमने कोई भी गुप्त अनुबंध या गुप्त समझौता नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मेरी जो कुछ भी चर्चा हुई उसका मैंने ईमानदारी से खुलासा कर दिया है। इस संयुक्त वक्तव्य में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है, उससे अधिक और हमारे समझौते में कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि ये प्रतिबद्धताएं क्या हैं? सबसे पहले परमाणु परीक्षणों पर रोक है। इसकी घोषणा पिछली सरकार ने की थी और हमने भी कहा कि हम इसे जारी रखेंगे। दूसरी प्रतिबद्धता "मल्टीलैटरल फिजाइल मैटीरियल कट-ऑफ ट्रीटी" को पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने से संबंधित है। मैं समझता हूँ कि श्रीमती सुषमा जी को "के साथ मिलकर", "के साथ काम करने" आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कहने में महारत हासिल है। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो प्रतिबद्धता की थी और इस संयुक्त वक्तव्य में जो कुछ कहा गया है, उसके बीच कोई फर्क नहीं है।

महोदय, तीसरी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु सामग्री तथा प्रौद्योगिकी को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक निर्यात नियंत्रण कानून और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के जरिए तथा परमाणु आपूर्ति समूह के दिशा-निर्देशों का पालन करते और सामंजस्य बैठाते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कुछ ही हफ्तों पहले, इस सदन ने आवश्यक कानून पारित किया था जो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि हमारी संवेदनशील प्रौद्योगिकियां अनधिकृत लोगों के हाथों में न जा पाएं। इसलिए ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं की जा रही है जो हमारी संसद द्वारा अनुमोदित कानून में न हो। हाँ, एक अतिरिक्त प्रतिबद्धता जो मैंने की है वह यह है कि सैनिक कार्यक्रम को नागरिक कार्यक्रम से अलग कर लिया जाए।

इसके लिए परमाणु प्रतिष्ठान का मुझे समर्थन मिला है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष मेरे साथ थे। उनके इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद ही कि इस समझौते से हमारे उन सभी हितों जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण हैं, की सुरक्षा होती है, मैंने संकेत दिया कि हम इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ सकते हैं। महोदय, मैं आदरपूर्वक आपको बताना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था, जैसी है, हमारे राष्ट्रीय हित में है। इससे सामरिक परमाणु परिसम्पत्तियों के प्रबंधन की हमारी स्वायत्तता संरक्षित होती है। परमाणु हथियार कार्यक्रम के डिजाइन और सामग्री के बारे में भारत सरकार तथा भारत के लोगों का ही अपना निर्णय होगा और यह जारी रहेगा।

जहां तक हमारे परमाणु कार्यक्रम का संबंध है, हमारे वैज्ञानिकों ने पूर्ण ईंधन चक्र में महारत हासिल करके देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। "प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स और फास्ट ब्रीडर्स से लेकर थोरियम पर आधारित अगली पीढ़ी के रिएक्टर्स तक हम उन्हें सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि अमेरिका में भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली इस व्यापक निहित क्षमता को उपयोग में लाया जा सके। इसलिए किसी के मन में यह संदेह नहीं रहना चाहिए कि हमारा परमाणु कार्यक्रम और हमारा अनुसंधान प्रयास इससे प्रभावित होंगे। इस बात का भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि हमारा सामरिक परिसम्पत्ति कार्यक्रम अब हमारे अपने हाथ में नहीं रहेगा। हमें इस बात का संतोष है कि जो वादा राष्ट्रपति श्री बुश ने मुझसे किया है यदि कांग्रेस वाकई उसका पालन करती है तो नागरिक परमाणु सुविधाओं के अन्तराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में हमारा बराबरी का स्तर होगा।

मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा होता है तो इससे भारत की परमाणु ऊर्जा प्रणाली के विकास की कुछ संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। एक छोटे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के कारण हमारे पास आज केवल छोटी फर्में हैं, उच्च प्रौद्योगिकी फर्में हैं जिनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड के कार्यक्रलापों पर गर्व है। मुझे गर्व होता है कि किस तरह से लार्सन और टुब्रो ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को हासिल किया है और वालचंद हीराचंद भी अपना अलग महत्व रखता है। लेकिन ये केवल छोटी फर्में हैं। यदि अगले 20-30 सालों में हमारा परमाणु विद्युत कार्यक्रम बढ़ता है और अगले 20 वर्षों में हम 30,000 से 40,000 मेगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो मेरा सपना है कि इससे सृजनशीलता का एक नया अध्याय खुलेगा, उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित एक दूसरी औद्योगिक क्रांति आएगी जिसमें हम पाएंगे कि और भी अनेक फर्में वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम करने वाली नई जटिल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर महारत हासिल करेंगी।

अब डॉ0 पी.सी. एलेक्जेण्डर का कहना है, "इसमें कई जोखिम हैं। हो सकता है कि अमेरिका ने जो वादा किया है, उसे न निभाए"। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें यह मानकर कार्य करना होगा कि हो सकता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा हो वह बाद में न हो। इसलिए हमें सावधानियां बरतनी होंगी। लेकिन जोखिम न लेना एक तरह से आलसी बने रहना होता है। जरूरी यह है कि हम एक राष्ट्र के रूप में सोचा-समझा जोखिम उठायें। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि अपनी यात्रा के दौरान हमने जो कुछ किया है यदि उसमें जोखिम हैं तो वे सोचे समझे जोखिम हैं और उन्हें उठाना उचित है। अन्त में, मैं अधिकारियों के दल जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ0 काकोडकर; राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री नारायणन;

विदेश सचिव श्री श्याम सरन; वाशिंगटन में हमारे राजदूत श्री रोनन सेन का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे सहयोगी श्री नटवर सिंह के मार्गदर्शन में सक्रिय होकर कार्य किया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए वे सराहना के पात्र हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि वह वाशिंगटन में किए गए हमारे कार्य का समर्थन करे।

धन्यवाद ।